हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

110/2017 सरकार V/s [illegible] वगैरह

15.5.17 पत्रावली समक्ष लोक अदालत ग्रामीण
स्थान आपके द्वार 2017 में अटल सेवा
केन्द्र [illegible] में पेश हुई।
प्रार्थी की ओर से मौका सरकार -
(तह- [illegible]) उपस्थित / विपक्षीगण
के गत पेशी पर नोटिस तामील हुए
होते थे / जो बावजूद सूचना अनुपस्थित /
विपक्षी सं. 13 की ओर से गत पेशी
पर प्रस्तुत की गई आपत्ति के संबंध
हलका पटवारी [illegible] की जबानी से
वस्तुस्थिति की जानकारी की गई एवं
मजमे आम में भी इस संबंध में
पूछताछ की गई। तो सामने आया,
कि तहसीलदार [illegible] (प्रार्थी पक्ष)
द्वारा हस्तगत आवेदन के साथ नक्शा
नक्शा (प्रस्तावित रास्ता नक्शे में) में खसरा
सं. 34 के पूर्वी सीमा की मेड के लगते
हुए आम रास्ता (कदीमी रास्ता) चलता
दर्शाते हुए, उक्त रास्ते को [illegible]
रास्ता कायम करने हेतु आवेदन पेश
किया गया / जबकि मजमे आम मे
पूछताछ मे सामने आया, कि खसरा
संख्या 34 के बीच में से होकर आमजन
रास्ते का आने जाने हेतु उपयोग करते है।
उक्त तथ्यों की पुष्टि हलका पटवारी
[illegible] की जबानी द्वारा किया, कि रास्ते को
उपयोग खसरा नं. 34 के बीच ~~[illegible]~~
की भूमि में से किया जाता रहा है।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	इससे स्पष्ट होता है, कि प्रार्थी द्वारा मौका स्थिति के अनुसार आवेदन पेश नहीं किया गया है इससे विप्रार्थी नं. 13 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को सबल मिलता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश किया गया आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी की ओर से मौके की स्थिति के अनुसार आवेदन मय प्रस्ताव पेश नहीं किये जाने के कारण, प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश नकल के साथ सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 1/5/17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

मुकदमा सं. ......110......

Scanned by CamScanner